भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2527

दिनांक 09 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: गाजा चक्रवात से प्रभावित डेयरी किसानों और मछुआरों के लिए राहत उपाय

2527. श्री एस॰ वेंकटेशनः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में गाजा चक्रवात द्वारा हुई तबाही के कारण गंभीर रूप से पीड़ित तमिलनाडु के डेयरी कृषकों और मछुआरों के लिए क्या राहत उपाय किए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

प्राकृतिक आपदाओं के कारगर प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। जैसाकि आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि यद्यपि आपदा प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, तथापि केंद्रीय सरकार स्थिति से कारगर रूप से निपटने में उनके प्रयासों को संपूरित करने हेतु राज्यों को सभी संभव रसद आदि (लोजास्टिक)और वित्तीय सहायता देती है। संबंधित राज्य सरकारें होने वाली क्षति का आकलन करती हैं और चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं को मद्देनजर रखते हुए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) जिसे पहले ही उनके अधिकार में सौंपा गया है, से वित्तीय राहत प्रदान करती है। गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मुहैया करायी जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है न कि होने वाली हानि/दावा की गई हानि के प्रति क्षतिपूर्ति के रूप में होती है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मदों और उनके मानदण्डों में अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों को सहायता भी शामिल है।

जहां तक चक्रवात 'गाजा द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र को हुई हानि का संबंध है केंद्रीय सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ तमिलनाडु राज्य को 3.88 करोड़ रुपये की सहायता भी अनुमोदित की थी। मध्यावधिक और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण और पुनर्वास उपाए एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के मानदंडों/दिशा-निर्देशों के क्षेत्र में नहीं आते हैं। तदनुसार, राज्य सरकारों को पुनर्वास, पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक उपायों का उपयुक्त समाधान करना/आरंभ करना तथा मध्यावधिक/दीर्घकालिक कार्यकलापों का प्रशमन करने हेतु आवश्यक उपाय करना तथा चल रही नियमित स्कीम/योजना आदि के अंतर्गत पर्याप्त निधियां आबंटित करना अपेक्षित होता है।

*****